original

NOC

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
झाँसी मण्डल झाँसी।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रीत विहार , नई दिल्ली।

पत्रांकःएन0ओ0सी0 / 2583-90 / 2009–10 दिनॉक– 13-8-2010

विषयः–सेन्ट थामस स्कूल, अतर्रा रोड, खुटहा, कर्वी जनपद चित्रकूट को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूच्य है कि उत्तर प्रदेश,शासन के आदेश सं0:1916 / 15–7–09–1(299) / 2007 दिनॉक–14.07.2009 द्वारा प्रदेश स्थित सी0बी0एस0ई0 तथा आई0सी0एस0ई0 बोर्ड द्वारा संचालित किए जाने के पूर्व संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण–पत्र राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये जाने का प्राविधान किया गया है, उक्त शासनादेश के अनुपालन में जनपद–चित्रकूट में स्थित संस्था सेन्ट थामस स्कूल, अतर्रा रोड, खुटहा, कर्वी के आवेदन पत्र पर मण्डल स्तर पर गठित समिति द्वारा विचार किया गया। समिति द्वारा जाँचोपरान्त सेन्ट थामस स्कूल, अतर्रा रोड, खुटहा, कर्वी को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः सेन्ट थामस स्कूल, अतर्रा रोड, खुटहा, कर्वी को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने में समिति को आपत्ति नहीं है–

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे,और उनसे उ0प्र0,माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयो में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली / कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन,नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0,माध्यमिक शिक्षा परिषद,द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।
6. कर्मचारियो की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो के कर्मचारियों का अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।
7. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे संस्था उनका पालन करेंगी।

क्रमशः02 पर....

8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/ परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण--पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(ओ0पी0एन0सिंह)
आयुक्त
चित्रकूट धाम मण्डल बाँदा।

पृष्ठांकन सं0/ 2583-90/2010—11 तद्दिनॉक—

प्रतिलिपि--निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव,माध्यमिक शिक्षा,उ0प्र0,शासन,लखनऊ।
2. वैयक्तिक सहायक, आयुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल बाँदा।
3. जिलाधिकारी, चित्रकूट।
4. शिक्षा निदेशक,(मा0)उ0प्र0,लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, चित्रकूट।
6. निरीक्षक,आंग्ल भारतीय विद्यालय,उ0प्र0,लखनऊ।
7. प्रबन्धक, सेन्ट थामस स्कूल, अतर्रा रोड, खुटहा, कर्वी (चित्रकूट)।
8. गार्ड फाईल।

(कृपाशंकर शर्मा)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
झाँसी/चित्रकूटधाम मण्डल

PRINCIPAL
ST. THOMAS SR. SEC. SCHOOL
KARWI (U.P.)